



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ 1934 (श10)
(सं0 पटना 220) पटना, शुक्रवार, 25 मई 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

25 मई 2012

सं० एल0जी0-1-06/2012/लेज: 328—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 मई 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 9, 2012]**बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र (संशोधन) अधिनियम 2012**

बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-** (1) यह अधिनियम बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. **बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा-4 का संशोधन।-** बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा-4 में प्रयुक्त शब्द "एवं उपाध्यक्ष" को विलोपित किया जायेगा।
3. **बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) में नयी धारा-4 क का जोड़ा जाना।-** बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा-4 के बाद नयी धारा-4 क जोड़ी जाएगी:-
"4 क अध्यक्ष बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार का पद अवैतनिक होगा परन्तु उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं देय होंगी।"
4. **बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा-5 का संशोधन।-** बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा-5 में प्रयुक्त शब्द "एवं उपाध्यक्ष" विलोपित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

25 मई 2012

सं० एल०जी०-1-06/2012/लेज: 329—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई 2012 को अनुमत बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 9, 2012]

Bihar State Public Library and Information Centre (Amendment) Act, 2012

AN

ACT

To amend the Bihar State Public Library and Information centre Act, 2008

Be it enacted by the legislature of Bihar in the Sixty third year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) This Act may be called the Bihar State Public Library and Information Centre (Amendment) Act, 2012

(2) It shall extend to whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. *Amendment of Section-4 of the Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008).*— In section- 4 of The Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008) the words "and Vice Chairman" shall be deleted.

3. *Addition of a new section – 4 A in The Bihar State Public Library and Information Centre Act , 2008 (Bihar Act 17 of 2008).*— After section-4 of The Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008), the following new section- 4A shall be added:

“4 A – The post of Chairman of The Bihar State Public Library and Information Centre Authority shall be honorary but he will be entitle for all the facilities decided by the State Government.”

4. *Amendment of the section-5 of The Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008).*—In Section-5 of The Bihar State Public Library and Information Centre Act, 2008 (Bihar Act 17 of 2008) the words “and Vice- Chairman” shall be deleted.

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 220-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>